

डिक्री मुकदमा इकादाई
(ओ.20 रूल्स 6व 7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक
ब अलजास अर्पिता सोनी आर0ए0एस0

रोशन पत्नि हनुमान गुर्जर निवासी डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक

वादीगण

बनाम
नन्दु बैवा भागीरथ गुर्जर निवासी डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक

कुल कस-2

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53ए 92ए 188 राजस्थान टीनेक्सी एक्ट के तहत
मुकदमा न0 238/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू. मुझ अर्पिता सोनी उप खण्ड अधिकारी पीपलू हाजिरी वादी रोशन पत्नि हनुमान गुर्जर मुहई रुबरू. प्रतिवादीगण बिननजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि भूमि आराजी खसरा न0 1324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा बिस्वा वाके ग्राम डारडातुर्की तह0 डारडातुर्की भू0अ0नि0 बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित उपरोक्त आराजीयात में पक्षकार पीडी रिपोर्ट पर सहमत होने से मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट दावा अन्तिग डिक्री किया जाता है तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।
जायनिजी..... मबलिक..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
बसखा मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.05.2018 को जारी की गई ।

उपरोक्त अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

मौहर	मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अजी दावा				स्टाम्प अजी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा				स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत				स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील				महन्ताना वकील		
खर्चा गयाहन				खर्चा गयाहन		
फीस कमिश्नर				फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा				बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक				मुतफरिक		
मीजान				मीजान		

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए ।